न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

बइजलास इन्द्राजसिंह R.A.S.

वाद संख्या 13/2018

निर्णय दिनांक 11.12.19

1. पीरूखाँ]
2. सुभानखाँ] पुत्रगण हुसैनखाँ जाति सिक्का निवासी साखूं तहसील राजगढ़ जिला चूरू

-वादीगण

बनाम

1. सुनिता पत्नी धर्मवीर जाति जाट निवासी चान्दगोठी तहसील राजगढ़ जिला चूरू
2. सुमित्रा पत्नी रोहताश जाति जाट निवासी चान्दगोठी तहसील राजगढ़ जिला चूरू

-प्रतिवादीगण

3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब राजगढ़ जिला चूरू

-गौण प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

इस न्यायालय द्वारा इस वाद में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार राजगढ़ (चूरू) से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। अवलोकन किया। विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुरूप तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुना गया। विभाजन प्रस्ताव पर किसी पक्ष के एतराज नहीं होना जाहिर किया है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार से पक्षकारान का खाता विभाजन किया जाता है।

(1) पीरूखाँ पुत्र हुसैनखाँ जाति सिक्का निवासी साखूं खातेदार के हक हिस्सा में खसरा० 970 मी० रकबा 1.62 है० बा. तृतीय वाके रोही साखूं तहसील राजगढ़ जिला चूरू नक्शा विभाजन प्रस्ताव में दर्शाए अनुसार रहेगी।

2. सुभानखाँ पुत्र हुसैनखाँ जाति सिक्का निवासी साखूं खातेदार के हक हिस्सा में ख० नं० 970 मी० रकबा 1.62 हे० बा० द० वाके रोही साखूं तहसील राजगढ़ जिला चूरू नक्शा विभाजन प्रस्ताव में दर्शाए अनुसार रहेगी।

3. सुनिता पत्नी धर्मवीर, सुमित्रा पत्नी रोहताश जाति जाट निवासी चान्दगोठी तहसील राजगढ़ खातेदार के हक हिस्सा में ख० नं० 970 मी० रकबा 1.62 हे० बा० द० वाके रोही साखूं तहसील राजगढ़ जिला चूरू नक्शा विभाजन प्रस्ताव में दर्शाए अनुसार रहेगी।

विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। स्टाम्प शुल्क अदा करने पर पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 11.12.19 को मेरे द्वारा लिखाया जा कर सरेइजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)